तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21-11-24	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन उपरान्त प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 83 / 2023
दायरा दिनांक 28.12.2023

पीठासीन अधिकारी
श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

श्रीमती राममूर्ति पत्नी श्री घनश्याम जाति मीना निवासी ग्राम चाणदाकलां तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
–प्रार्थिया

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र कृषि भूमि पत्थरगढ़ी बाबत्
अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट
अधिवक्ताः– 1. श्री धीरज जैन (अधिवक्ता प्रार्थिया)
2. अप्रार्थी – सरकार पेरोकार

दिनांकः–21.11.2024

निर्णय

प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नई 130 पुरानी 130 खसरा संख्या 6 रकबा 2.41हैक्टर वाके ग्राम चाणदाखुर्द पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी विस्थित है। जिसका खातेदार प्रार्थिनी है एवं काबिज होकर काश्तकारी करती आ रही है। प्रार्थिया की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थिया की कृषि भूमि में दखलंदाजी करते है व जबरन प्रार्थिया की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है। इस संदर्भ प्रार्थिया ने अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया था। प्रार्थिया की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के सीमांकन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो तथा प्रार्थिया की खातेदारी एव कब्जा काश्त की कृषि भूमि रकबा भी सुरक्षित रहे इस कारण से प्रार्थिया अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। अन्त में प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रार्थिया की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ सरकार पेरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ को जवाब पेश करने हेतु बार–बार अवसर दिए जाने पर उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब बंद कर पत्रावली पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपस्थित राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

रिकॉर्ड अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 2.41हैक्टर वाके ग्राम चाणदाखुर्द पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थिया राममूर्ति पत्नी श्री घनश्याम जाति मीना सा0 चाणदाकला तहसील इन्द्रगढ़ की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थिया द्वारा उक्त कृषि भूमि का दिनांक 16.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। हमारे मत में प्रार्थियाका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया की कृषि भूमि खाता संख्या नई 130 पुरानी 130 खसरा संख्या 6 रकबा 2.41हैक्टर वाके ग्राम चाणदाखुर्द पटवार हल्का चाणदाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी का फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार नियमतः नपती कर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाकर पत्थरगढ़ी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक २। .11.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)